राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग
5/9, अण्डर हिल रोड़, दिल्ली – 110054

सं. एफ 19(04)/परि0वि0/सचि0 शा0/2019/123632 दिनांक :

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

बिषय :– दिनांक 03/01/2022 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतांराकित प्रश्न संख्या 15

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ संलग्न है।

यह माननीय परिवहन मंत्री के पूर्व अनुमोदन से जारी हुआ है।

(विकास जैन)
पीसीओ (सचि0)

Pollution Control Officer
Transport Department
5/9, Under Hill Road, Delhi-54

विभाग का नाम – परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता – 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या – 15

सदस्य का नाम – श्री अजय महावर

दिनांक – 03.01.2022

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली सरकार ने कितनी इलेक्ट्रिक बसे खरीदी हैं एवं कितनी बसे किराये पर कितनी अवधि के लिए ली हैं और इन किराये पर ली हुई बसों का कितना किराया कम्पनी के साथ तय किया है;	भारत सरकार की फेम–2 योजना के अंर्तगत दिल्ली परिवहन निगम नें 30.03.2021 को 300 नई एसी लो फलोर इलेक्ट्रिक Electric बसों कों 10 साल के लिए ओपेक्स (Opex) मॉडल में परिचालन करने के लिए बस निर्माताओं को आर्डर दे दिया है, जिसमें मेसर्स जे.बी.एम (एल–1) को 200 और मेसर्स टाटा मोटर्स को 100 बसों का आर्डर प्रथम वर्ष के लिए 68.58 रू प्रति किलोमीटर की दर से दे दिया है, उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष यह दर अनुबंध की शर्तो के अनुसार निर्धारित होगा। दिल्ली सरकार ने क्लस्टर सेवा के अन्तर्गत 1000 इलैक्ट्रिक वातानुकूलित लो फ्लोर बसों को जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 330 बसों की निविदा जारी कर दी गई है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries, Govt. of India) की Grand Challenge योजना के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम 1500 इलैक्ट्रिक वातानुकूलित लो फ्लोर बसों को लेने की प्रक्रिया पर कार्यरत है।
ख	2015 के बाद दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी बस न खरीदे जाने के क्या कारण हैं;	वर्ष 2008 के निविदा द्वारा 3125 लो फ्लोर सी एन जी एसी व Non AC बसें खरीदी गई, जिनकी आपूर्ति वर्ष 2011 तक हुई । इसके पश्चात मार्च 2013 में 500 Non AC और 125 एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को 7,50,000 किलोमीटर तक की एएमसी सहित खरीदने हेतू निविदा प्रकाशित की गई । जिसमें 125 एसी बसों के लिए कोई बोली प्राप्त नही हुई, तथा

ASHISH KUNDRA, IAS
Pr. Secretary-Cum-Commissioner (Tpt)
Transport Department

		500 Non AC बसों की सिंगल बोली प्राप्त हुई। बसों (मुल्य रू. 75,97,991/– प्रति बस) और उनकी AMC (प्रथम वर्ष दर रू 83.06/– से 12वे वर्ष दर रू. 433.08/–प्रति किलोमीटर) के हाई अनरीजनेबल रेटस के कारण यह निविदा रद्द कर दी गई । अक्टूबर 2013 में 1380 Non AC स्टैण्डर्ड 900 MM फ्लोर हाईट और 345 प्रीमियम एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को 7,50,000 किलोमीटर तक की AMC सहित खरीदने हेतु निविदा प्रकाशित की गई । जिसमें 345 प्रीमियम एसी बसों के लिए कोई बोली प्राप्त नही हुई, तथा 1380 Non AC स्टैण्डर्ड 900 MM फ्लोर हाईट बसों की सिंगल बोली प्राप्त हुई। Conditional तकनीकी बोली के कारण यह निविदा रद्द कर दी गई । तत्पश्चात जून 2014 में 1380 Non AC स्टैण्डर्ड 900 एमएम फ्लोर हाईट सीएनजी बसों को 6,50,000 किलोमीटर तक की AMC सहित खरीदने हेतू निविदा प्रकाशित की गई, जिसमें बसों के लिए सिंगल बोली प्राप्त हुई, बसों (मुल्य रू. 44,63,753/– प्रति बस) और उनकी AMC (प्रथम वर्ष दर रू. 32.12/– से 10वें वर्ष दर रू. 104.98/–प्रति किलोमीटर) के हाई अनरिजनेबल रेटस के कारण यह निविदा रद्ध कर दी गई । मार्च 2018 में 1000 Non-AC स्टैण्डर्ड 900 MM फ्लोर हाईट सीएनजी बसों को बिना AMC के खरीदने हेतू निविदा प्रकाशित की गई। निपुन मलहोत्रा बनाम दिल्ली सरकार वाले केस में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार केवल लो फ्लोर सीएनजी बस खरीदने के लिए शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया । जिसकें पश्चात 1000 बसों के लिए सिंगल बोली प्राप्त होने के कारण यह निविदा रद्द कर दी गई। दिल्ली सरकार के केबिनेट निर्णय न. 2713 दिनांक 11.07.2019 के अनुसार जूलाई 2019 में 1000 एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को खरीदने व सितम्बर 2019 में उनके 7,50,000 किलोमीटर तक की AMC हेतु अलग अलग निविदाऐ प्रकाशित की गई । जिसमें 1000 AC बसों व

ASHISH KUNDRA, IAS
Pr. Secretary-cum-Commissioner (Tpt)
Transport Department,
GNCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054

		AMC के लिए अलग अलग दो बोलियां प्राप्त हुई। तकनीकी खामियों के कारण यह निविदाऐं रद्द कर दी गई। तदोपरान्त उपरोक्त केबिनेट निर्णय के अनुसार मार्च 2020 में 1000 नई बीएस– VI एसी लो फलोर सीएनजी बसों को खरीदने व अगस्त 2020 में उनके 7,50,000 किलोमीटर तक की AMC हेतू अलग अलग निविदाऐ प्रकाशित की गई । जिसमें 1000 नई बीएस–VI एसी बसों व एएमसी के लिए अलग अलग दो बोलीयां प्राप्त हुई। दिनांक 15.01.2021 को 1000 नई बीएस– VI एसी लो फलोर सीएनजी बसों की सप्लाई एवं दिनांक 29.01.2021/01.02.2021 को उनकी एएमसी के लिए बस निर्माताओं को आर्डर दे दिया था, परन्तु 12.03.2021 को नेता प्रति पक्ष मान्नीय विधायक श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी व अन्य सात मान्नीय विधान सभा सदस्यों (श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री विजेन्द्र गुप्ता, श्री अजय महावर, श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री अनिल वाजपेयी, श्री अभय वर्मा व श्री जितेन्द्र कुमार महाजन) द्वारा मान्नीय उप राज्यपाल को लिखित की गई शिकायत के कारण दिल्ली परिवहन विभाग के दिनांक 11.06.2021 के निर्देशानुसार 1000 बसों की खरीद व उनके AMC अनुबंध को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है। (Kept in Abeyance) उपरोक्त शिकायत की जांच के लिए माननीय उपराज्यपाल द्वारा दिनांक–16.06.2021 के आदेशानुसार एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट माननीय उपराज्यपाल को सौंप दी है। बसों की खरीद व उसकी AMC के मामले की जांच जारी है। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की फेम–2 योजना के अंर्तगत दिल्ली परिवहन निगम नें 30.03.2021 को 300 नई एसी लो फलोर इलेक्ट्रिक Electric बसों कों 10 साल के लिए ओपेक्स (Opex) मॉडल में परिचालन करने के लिए बस निर्माताओं को

ASHISH UNDRA, IAS
Pr. Secretary-Cum-Commissioner (Tpt)
Transport Department,
GNCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054

		आर्डर दे दिया है, जिसमें मेसर्स जे.बी.एम (एल–1) को 200 और मेसर्स टाटा मोटर्स को 100 बसों का आर्डर प्रथम वर्ष के लिए 69.58 रू प्रति किलोमीटर की दर से दे दिया है, उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष यह दर अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित होगा। एक प्रोटो टाइप इलेक्ट्रिक बस डीटीसी ने प्राप्त कर ली है और सभी 300 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र ही डीटीसी के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries, Govt. of India) की Grand Challenge योजना के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम 1500 इलैक्ट्रिक वातानुकूलित लो फ्लोर बसों को लेने की प्रक्रिया पर कार्यरत है। दिल्ली सरकार की क्लस्टर मॉडल में सन् 2015 से 1789 सीएनजी बसें (1386 Non AC तथा 403 AC) जोड़ी गई हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने क्लस्टर मॉडल के अन्तर्गत 1000 इलैक्ट्रिक वातानुकूलित लो फ्लोर बसों को जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 330 बसों की निविदा जारी कर दी गई है।
ग	2015 के बाद डी.टी.सी के हर साल घाटे में जाने के क्या कारण हैं;	निगम की किराए संरचना सामाजिक दायित्वो पर समाज के विभिन्न वर्गो के लिए कई तरह के रियायती भुगतान जारी करने व मानव/सामग्री इनपुट लागत की कीमतो मे वृद्वि के कारण आंशिक रूप से अपनी स्थापना के बाद से जो घाटा उठाना पडा है अब वह दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि निगम के किराये मे संशोधन सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। डी.टी.सी. का किराया 03.011.2009 के पश्चात संशोधित नही किया गया है।
घ	2015 के बाद डी.टी.सी बसों में कितना घाटा हुआ है, इसका वर्ष बार विवरण दिया	निगम की किराया संरचना सामाजिक दायित्वों पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिये कई तरह के

ASHISH KUNDRA, IAS
Pr. Secretary-Cum-Commissioner (Tpt)
Transport Department,
GNCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054

	जाए;	रियायती भुगतान जारी करने व मानव/सामग्री इनपुट लागत की कीमतों में वृद्धि के कारण जो भी नुकसान होता है वह दिल्ली सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिल्ली परिवहन निगम को उपलब्ध कराया जाता है।
ड़	क्या सरकार का इस घाटे को पूरा करने का कोई मास्टर प्लान है; और ...	वर्तमान में दिल्ली सरकार की प्राथमिकता दिल्ली वासियों को कम किराये पर विश्वस्तरीय आधुनिक बस सेवा प्रदान करने की है। आधुनिक बसों की उपलब्धता से निजी वाहनों से यात्रा करने वाले सार्वजनिक बस सेवा की ओर आकर्षित होंगे। दिल्ली परिवहन निगम एवं कलस्टर सेवा के बेड़े में आधुनिक लो–फ्लोर वातानुकूलित एवं इन्टेलिजेन्ट परिवहन सेवाओं से लैस सीएनजी एवंम इलैक्ट्रीक बसों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों को सस्ती बस सेवा प्रदान करने के लिए वर्ष 2009 से बसों के किराये में कोई बढ़ोतरी नही की है। तथापि सभी बसों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु GPS, CCTV, पैनिक बटन एवं मार्शलों की तैनाती की है। महिलाओं को डी टी सी एवं क्लस्टर सेवा की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान की है। इन सभी उद्देश्यो से कार्यान्तरण के लिए दिल्ली सरकार बजट में दिल्ली परिवहन निगम को वार्षिक अनुदान प्रदान करती है।
च	12 वर्ष से अधिक पुरानी बसों को अभी तक चलाये जाने के क्या कारण हैं ?	पंजीकरण की तिथि से सीएनजी बस की आयु 15 वर्ष निर्धारित है ।

(आशीष कुन्द्रा)
प्रमुख सचिव सह आयुक्त (परिवहन)
विभागाध्यक्ष

ASHISH KUNDRA, IAS
Pr. Secretary-Cum-Commissioner (Tpt)
Transport Department,
GNCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054